राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चि.प्र. /मु.मं.चि.स्वा.कैम्प/2021-22/146 दिनांक : 08.11.2021

प्रशासनिक स्वीकृति

14 नवम्बर 2021 से 21 मार्च 2022 तक **"मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर"** ग्राम पंचायत पर आयोजित होने वाले शिविरों की संख्या – 11341 है। 352 पंचायत समिति स्तर पर दो माह में एक मेगा कैम्प आयोजन के आधार पर कैम्पों की संख्या – 704 है। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति पर आयोजित होने वाले कुल कैम्पों की संख्या 12045 हैं।

उक्त कैम्पों में नीचे वर्णित गतिविधियों हेतु निम्नानुसार अधिकतम व्यय की एतद् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. टेन्ट, फर्निचर, जनरेटर, पानी एवं अन्य व्यय हेतु प्रति कैम्प अधिकतम राशि रू. 20,000/– (कुल राशि रू. 12045x20,000=**2409.00 लाख)** ।
2. कैम्पों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सकीय दल हेतु वाहन तथा जांच एवं अन्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्री को कैम्प स्थल पर लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम दो वाहन हेतु प्रति कैम्प अधिकतम राशि रू 6,000/– (कुल राशि रू. 12045x6,000=**722.70 लाख)**
3. कैम्प में विशेषज्ञ चिकित्सक हेतु (अधिकतम राशि रू. 6,000/– प्रति विशेषज्ञ चिकित्सक) **कुल राशि रू. 1445.40 लाख।**

स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन हैं:–

1. उक्त गतिविधियों का जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा RTPP Act 2012 एवं Rules 2013, NHM की गाईडलाईन एवं वित्त विभाग के परिपत्र एवं नियमानुसार व्यय किया जावें।
2. कैम्प प्रारम्भ होने से पूर्व कार्ययोजना तैयार की जावें ताकि आवश्यकतानुसार उक्त वर्णित गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकें।
3. उक्त गतिविधियों हेतु वित्तीय स्वीकृति अलग से जारी की जावेगी।

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन
निदेशक (एनएचएम)

क्रमांकः चि.प्र. /मु.मं.चि.स्वा.कैम्प/2021-22/146 दिनांक : 08.11.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त परियोजना निदेशक एवं स्टेट नोडल ऑफिसर, मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को संबंधित को ईमेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. कार्यालय प्रति।

(डॉ. के. के. शर्मा)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर (राजस्थान)

D:\NCD Data\Hindi Letter NCD Third File HSK 29.doc